**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय  
रक्षा विभाग**

**राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 1454**

**01 जनवरी, 2018 को उत्तर के लिए**

**सशस्त्र सेनाओं के गैर-कमीशन प्राप्त अधिकारियों की समयबद्ध पदोन्नति**

**1454. श्री महेन्द्र सिंह माहरा :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(**क**) **क्या सरकार कमीशन प्राप्त अधिकारी के लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक पर पदोन्नति के समान तथा चौदह वर्षों की सेवा** (**एसीपी**) **के अंदर अन्य सशस्त्र सेनाओं में उसके बराबर पद पर पदोन्नति करने की तर्ज पर सशस्त्र सेना के गैर-कमीशन प्राप्त अधिकारियों का जूनियर वारंट ऑफिसर की रैंक पर तथा सेना, नौसेना और वायु सेना में उसके समकक्ष रैंक पर समयबद्ध पदोन्नति देने पर विचार कर रही है;**

(**ख**) **यदि हां, तो इसे कब कार्यान्वित किया जाएगा; और**

(**ग**) **यदि नहीं, तो इसका लाभ गैर-कमीशन प्राप्त अधिकारियों को नहीं देने के क्या कारण हैं जो नैसर्गिक न्याय तथा समानता के विरुद्ध है** ?

**उत्तर  
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष भामरे)**

(क) से (ग): एक विवरण संलग्न है ।

**‘सशस्त्र सेनाओं के गैर-कमीशन प्राप्त अधिकारियों की समयबद्ध पदोन्नति’ के बारे में राज्य सभा में दिनांक 01 जनवरी, 2018 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या-1454 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

(क) से (ग): सशस्त्र सेनाओं के गैर-कमीशन प्राप्त अधिकारियों की सेना, नौसेना तथा वायु सेना में जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारियों (जेसीओ) के रैंक में और उसके समकक्ष रैंक में समयबद्ध पदोन्नति संबंधी स्थिति निम्नवत दर्शायी गई है :-

**सेनाः** गैर-कमीशन प्राप्त अधिकारियों को जेसीओ के रैंक में समयबद्ध पदोन्नति प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है । भारतीय सेना के जूनियर कमीशन प्राप्त (जेसीओ)/अन्य रैंक (ओआर) को छठे और सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार एमएसीपी योजना के अन्तर्गत 8,16 तथा 24 वर्ष की सेवा पूरी करने पर वित्तीय उन्नयन प्रदान किए जाते हैं । ऐसा वित्तीय उन्नयन प्राप्त होने पर उस व्यक्ति विशेष को अगला उच्च वेतन लेवल मिल जाता है । एमएसीपी / एसीपी योजना 01 सितम्बर, 2008 से लागू है ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, मौजूदा नीति के अनुसार कोई सिपाही जिसको उसकी सेवा में कोई पदोन्नति नहीं मिलती है और 17/19 वर्ष की सेवा पर सेवानिवृत्त हो जाता है, उसे लांस नायक के रूप में नियुक्त किया जाता है तथा सेवानिवृत्ति से पहले नायक के समयमान वेतन रैंक प्रदान किया जाता है । इस प्रकार जेसीओ/ओआर के हित का ध्यान रखा जाता है ।

**वायु सेनाः** सार्जेन्ट के रैंक तक समयबद्ध पदोन्नतियां दी जाती हैं । जूनियर वारंट आफिसर (जेडब्ल्यूओ) और उससे ऊपर की पदोन्नति चयन आधारित होती है ।

**नौसेनाः** प्रथम दो रैंकों अर्थात नाविक-II से नाविक-I संवर्ग में औरनाविक-I संवर्ग से मुख्य नाविक के रूप में समयबद्ध पदोन्नति दी जाती है । भारतीय नौसेना में अन्य गैर-कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए समयबद्ध पदोन्नतियां कार्यान्वित करने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

सेवा के 8,16 तथा 24 वर्ष पूरे होने पर वित्तीय उन्नयन प्रदान करने संबंधी एमएसीपी योजना वायु सेना और नौसेना में भी गैर-कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए भी लागू है ।

\*\*\*\*\*\*